संख्या-161/2016/1033/22-2-2015-17(200)/2015

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 22 सितम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमाशंकर पुत्र श्री छोटेलाल निवासी जनपद-कानपुर देहात की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-46822/पर-3(एम-28-10-2015) दिनांक-09-11-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध बन्दी रमाशंकर पुत्र श्री छोटेलाल, निवासी-हरीराम पुरवा थाना-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात का रहने वाला है। पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 03.08.1974 को सायं 05:30 बजे बन्दूक पिसतौल व हाकी से हमला कर दो व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 03 व्यक्तियों को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-27/1975 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 323, 149 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर द्वारा दिनांक 11.10.1977 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01-10-2015 तक 12 वर्ष 04 माह 02 दिन की अपरिहार तथा 16 वर्ष 00 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त् किये गये, 03 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है, 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी को मा0 न्यायालय से आजीवन कारावास भुगत रहे बन्दी को कारागार में निरूद्ध रखना उचित होगा तथा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात ने पुलिस अधीक्षक की आख्या पर सहमति व्यक्त करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रमाशंकर पुत्र श्री छोटेलाल निवासी जनपद-कानपुर देहात को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेयक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रमाशंकर (बन्दी संख्या-26017) पुत्र श्री छोटेलाल निवासी जनपद-कानपुर देहात के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-161/2016/1033(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-161/2016/1033@22-2-2016-17(200)/2015

दिनांक 22 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध बन्दी रमाशंकर पुत्र श्री छोटेलाल, निवासी-हरीराम पुरवा थाना-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात का रहने वाला है। पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 03.08.1974 को सायं 05:30 बजे बन्दूक पिसतौल व हाकी से हमला कर दो व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 03 व्यक्तियों को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-27/1975 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 323, 149 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर द्वारा दिनांक 11.10.1977 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01-10-2015 तक 12 वर्ष 04 माह 02 दिन की अपरिहार तथा 16 वर्ष 00 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त् किये गये, 03 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है, 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी को मा0 न्यायालय से आजीवन कारावास भुगत रहे बन्दी को कारागार में निरूद्ध रखना उचित होगा तथा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात ने पुलिस अधीक्षक की आख्या पर सहमति व्यक्त करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी रमाशंकर पुत्र श्री छोटेलाल निवासी जनपद-कानपुर देहात को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।